न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा,जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मि0नं0.	दायरा तिथि	फैसल दिनांक
26 / 21	27.12.2012	7/7/23

बउनवान

रामलाल पुत्र मोड्डूलाल जाति बैरवा निवासी झोंपडिया तहसील पीपल्दा
— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा (राज0)
— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी सेटलमेन्ट के बाद नवीन ख.न. 5 रकबा 0.07 है0 ख.न. 524 रकबा 1.94 है0 भूमि स्थित है जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व ख.न. 4 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में स्थित है।

यह है कि सेटलमेंन्ट से पूर्व रकबा अनुसार प्रार्थी के खातेदारी में 2.50 है0 भूमि दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन सेटलमेंट विभाग द्वारा जानबूझकर त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुए प्रार्थी के खातेदारी में कम दर्ज की है जिसका कि सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं है जबकि मौके पर प्रार्थी सेटलमेंट से पूर्व रकबा के अनुसार काबिज काश्त चला आ रहा है।

यह कि सेटलमेंट विभाग प्रार्थी के खातेदारी में जानबूझकर 0.49 है0 भूमि दर्ज की है जिसे प्रार्थी दुरूस्ती करवा कर खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। कमी पूर्ति प्रार्थी के समीप सिवायचक ख.न. 528 व सिवायचक ख.न. 529 से की जा सकती है।

प्रार्थी ने कमी पूर्ति हेतु तहसीलदार पीपल्दा से निवेदन किया उन्होंने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु कहने पर प्रार्थी द्वारा श्रीमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतःप्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि कमी रकबा 0.49 है0 की पूर्ति करते हुए वाके ग्राम खातौली नवीन ख.न. 524 रकबा 1.94 है0 के स्थान पर ख.न. 524 रकबा 2.43 है0 प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज कर राजस्व रेकार्ड

अंजना सहरावत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

में दर्ज किया जावे तथा उसी के अनुरूप नक्शा ट्रेस कायम कर अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को जारी किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये समन्न की गई। अप्रार्थी तहसीलदार पीपल्दा से जवाब प्राप्त हुआ। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी रामलाल आ0 मोडू जाति बैरवा के ग्राम ,खातौली की भूमि ख.न. 524 की 1.94 है0 भूमि वर्तमान दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी के भूमि समीप ख.न. 528 की 1.21 है0 एवं 529 की 21.4 है0 सिवायचक भूमि स्थित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी में कमी पूर्ति प्रार्थी के समीप स्थित सिवायचक भूमि से कर खातेदारी में अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार पीपलदा को आदेष फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2066 से 69 खातौली नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी सम्वत 2066–69 खातौली, नकल भूप्रबन्ध विभाग संवत् 2041 से 2060, नकल जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 खातौली,नकल जमाबंदी सम्वत् 2066 –69 खातौली नक्शा ट्रेस, नक्शा ट्रेस खातौली पुराना, नकल मिलान क्षेत्रफल,नकल जमाबंदी खातौली सम्वत 2032 से 2035 प्रस्तुत किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन किया गया । प्रार्थना पत्र में उपलब्ध नकल भूप्रबन्ध विभाग संवत् 2041 से 2060, में हाल ख.न. 524 रकबा 1.94 साबिक ख.न. 4 रकबा 15 बीधा 13 बिस्वा बने है। साबिक ख.न. 4 मुताबिक सेटलमेन्ट पूर्व की नकल जमाबदी सम्वत 2036 से 2039 माल ग्राम खातौली में नाथ्या, छोटया आ0 धासी,माधो सूरज्या आ0 रामदेव बैरवा सा. झोपडिया हिस्सा बरावर ख.न. 4 रकबा 15 बिधा 13 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतःप्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खाते की भूमि में कमी पूर्ति 0.49 है0 प्रार्थी के खाते की भूमि के समीप स्थित ख.न. 528 रकबा 1.21 है0 आराजी में से की जावे। तदनुसार नक्शा ट्रेस कायम कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार पीपल्दा को तहरीर जारी की जावे।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी

अंजना सहरावत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा